न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

(1) प्रकरण संख्या 162/2009 (उदयपुर डिक्री)

दामोदरलाल पिता पन्नालाल जी नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनलाल पिता पन्नालाल जी नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. कन्हैयालाल पिता पन्नालाल जी नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)
4. चन्द्रप्रकाश पिता निर्भयराम जी ब्राहमण, निवासी बूझड़ा, हाल भटियानी चोहट्टा, उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

4/1. श्रीमती राधा देवी पत्नी स्वर्गीय चन्द्रप्रकाश जी व्यास

4/2. परमेश्वर व्यास पिता स्वर्गीय चन्द्रप्रकाश जी व्यास

4/3. कीर्ति प्रकाश व्यास पिता स्वर्गीय चन्द्रप्रकाश जी व्यास

4/4. श्रीमती अंजना व्यास पुत्री स्वर्गीय चन्द्रप्रकाश जी व्यास पत्नी संजीव जी नागदा, निवासी गणेश नगर पायडा, उदयपुर (राज.)

4/5. श्रीमती आशा व्यास पुत्री स्वर्गीय चन्द्रप्रकाश जी व्यास पत्नी सुरेश जी शर्मा, निवासी 913, दिनेश फार्म हाउस, शिवपार्क कॉलोनी, उदयपुर।

.....रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री राजमल राव अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

3– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक रेस्पो. सं. 2

4– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

5– श्रीमती अंजना व्यास अभि.रे.सं. 4/1, 4/3, 4/4

———::———

(2) प्रकरण संख्या 212/2009 (उदयपुर डिक्री)

मोहनलाल पिता पन्नालाल जी नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता पन्नालाल जी नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. दामोदरलाल पिता पन्नालाल जी नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)
4. चन्द्रप्रकाश पिता निर्भयराम जी ब्राहमण, निवासी बूझड़ा, हाल भटियानी चोहट्टा, उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

4/1. श्रीमती राधा देवी पत्नी स्वर्गीय चन्द्रप्रकाश जी व्यास

4/2. परमेश्वर व्यास पिता स्वर्गीय चन्द्रप्रकाश जी व्यास

4/3. कीर्ति प्रकाश व्यास पिता स्वर्गीय चन्द्रप्रकाश जी व्यास

4/4. श्रीमती अंजना व्यास पुत्री स्वर्गीय चन्द्रप्रकाश जी व्यास पत्नी संजीव जी नागदा, निवासी गणेश नगर पायडा, उदयपुर (राज.)

4/5. श्रीमती आशा व्यास पुत्री स्वर्गीय चन्द्रप्रकाश जी व्यास पत्नी सुरेश जी शर्मा, निवासी 913, दिनेश फार्म हाउस, शिवपार्क कॉलोनी, उदयपुर।

.....रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री राजमल राव अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

3– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो. सं. 2

4– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

5– श्रीमती अंजना व्यास अभि.रे.सं. 4/1, 4/3, 4/4

———::———

अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

काश्त0 अधि0– 1955 विरूद्ध निर्णय

एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा

दिनांक 03.03.2009 प्र.सं. 16/2005

———::———

निर्णय **दिनांक 09–11–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/मोहनलाल द्वारा प्रतिवादी कन्हैयालाल, दामोदरलाल, सरकार व चन्द्रप्रकाश के विरूद्ध धारा 53, 54, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (मोहनलाल, कन्हैयालाल व दामोदरलाल) सगे भाई हैं, जिनके खातेदारी

अधिपत्य की भूमि ग्राम बूझडा में स्थित है, जो परिशिष्ट ''अ'' में वर्णित होकर कुल किता 19 रकबा 3.1000 हैक्टर हैं। वादी द्वारा वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त भूमियों का आपास में विभाजन कर रखा है, जिसके अनुसार वादी मोहनलाल के हिस्से में खाता संख्त्रया 211 की कृल किता 7 रकबा 1.1000 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 कन्हैयालाल के हिस्से में कुल किता 8 रकबा 1.0600 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 2 दामोदरलाल के हिस्से में कुल किता 6 रकबा 0.9400 हैक्टर भूमि है। उक्त विभाजन जवाबी होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इसी अनुसार काबिज हैं। इसी प्रकार ग्राम बूझडा में आराजी नंबर 311 व 312 कुल किता रकबा 0.6200 हैक्टर भूमि होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हिस्सा है। उक्त भूमि का विभाजन हो मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 निम्नानुसार काबिज हैं, आराजी नंबर 311 रकबा 0.3000 हैक्टर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के रखी गयी तथा प्रतिवादी संख्या 312 रकबा 0. 3200 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 4 के रखी गयी। उक्त दोनों आराजियात का मौके पर करीब 6 माह पूर्व विभाजन कर आराजी नंबर 311 वादी के हिस्से में रखी गयी व आराजी नंबर 312 प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्से में रखी गयी तथा दोनों आराजियात में पत्थरों की कोट वादी द्वारा अपने स्वयं के खर्चे पर बना रखी है। इस प्रकार आराजी नंबर 311 से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई संबंध नहीं है तथा इसके बजाय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सब्जी तलाई की भूमि दी। यानि खाता संख्या 143 की आराजी नंबर 1789, 1801 से 1807 तक कुल किता 8 रकबा 6.3500 हैक्टर भूमि में वादी का कोई हिस्सा नहीं रहा, वादी का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में हस्तान्तरित हो गया। उपरोक्त किये गये आपसी विभाजन अनुसार पक्षकारान काबिज हैं। वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त विभाजन अनुसार भूमि खाते अंकित कराने को कहा तो प्रतिवादीगण टालमटोल कर आपसी विभाजन से मुकरने लगे तथा वादी को बेदखल करने की धमकी दी। अतएवं निवेदन किया कि उपरोक्तानुसार भूमियों का विभाजन करवाया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर दिनांक 11–07–2007 को कुल 3 तनकियात कायम की गयी तथा पुनः प्रतिवादीगण द्वारा निवेदन करने पर दिनांक 22–09–2008 को 3 तनकियात और कायम की गयी। इस प्रकार प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 7 तनकियात कायम की गयी।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 03–03–2009 से वादी का वाद स्वीकार कर बंटवाड़े की प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 03–03–2009 से रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 2 दामोदरलाल द्वारा एक अपील संख्या 162/2009 इस न्यायलय में दिनांक 13–04–2009 को प्रस्तुत की गयी। इसी प्रकार उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध ही वादी मोहनलाल द्वारा भी एक अपील संख्या 212/2009 इस न्यायालय में दिनांक 18–05–2009 को प्रस्तुत की गयी।

प्रतिवादी संख्या 1 दामोदरलाल द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील समय सीमा में प्रस्तुत हुई है, जबकि वादी मोहनलाल द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील में नकल मिलने में 18 दिन का विलम्ब हुआ है। अतएवं द्वितीय अपील भी समय सीमा में मानी जाकर दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये।

वस्तुतः दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 16/2005 निर्णय व डिक्री दिनांक 03–03–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई हैं, प्रथम अपील प्रतिवादी संख्या 2 दामोदरलाल ने प्रस्तुत की गयाी है जो इस न्यायालय में अपील संख्या 162/2009 के रूप में दर्ज हुई। इसी प्रकार द्वितीय अपील वादी मोहनलाल द्वारा प्रस्तुत की गयी है जो इस न्यायालय में अपील संख्या 212/2009 के रूप में दर्ज की गयी।

उपरोक्त दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 16/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03–03–2009 के विरूद्ध क्रमशः प्रतिवादी संख्या 2 व वादी द्वारा द्वारा अलग–अलग प्रस्तुत की गयी हैं, परन्तु दोनों ही प्रकरणों की विषय वस्तु, पक्षकारान समान होने व एक ही निर्णय व

डिक्री के विरूद्ध होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर प्रकरण संख्या 162/2009 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मोहनलाल की ओर से वकील श्री राजमल राव उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 कन्हैयालाल की ओर से वकील श्री खेमराज डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की दौराने कार्यवाही मृत्यु हो जाने से उनके कायम मुकामात को संस्थित किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4/1, 4/3 व 4/4 ओर से वकील श्रीमती अंजना व्यास ने अपनी उपस्थिति दी।

इसी प्रकार प्रकरण संख्या 212/2009 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 कन्हैयालाल की ओर से वकील श्री खेमराज डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 दामोदरलाल की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4/1, 4/3 व 4/4 ओर से वकील श्रीमती अंजना व्यास ने अपनी उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस दोनों अपीलों के वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 के अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की। राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

प्रथम अपील संख्या 162/2009 में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिये गये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी नंबर 311 व 312 के संबंध में तनकी नंबर 5 बनायी, जिसका फैसला अपीलान्ट के हक में किया व

जायजाद संयुक्त मानी, इस कारण दोनों आराजियात का बंटवाड़ा कराया जाना आवश्यक था, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उसके संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि आराजी नंबर 435, 436 व 2261/433 संयुक्त खातेदारी की होकर अपीलान्ट का 1/3 हिस्स है व इसी अनुसार काबिज है तथा जानबूझकर वादी ने इन आराजियात को दावे में लिये बिना ही कयासी आधारों पर जो निर्णय पारित किया गया है वह गलत है। न्यायालय द्वारा आराजी नंबर 1789, 1801 से 1807 कुल किता 8 रकबा 6.3500 हैक्टर का 1/6 हिस्सा बंटवाड़े में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पास रखी जानी थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर गलत आदेश पारित किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपील में लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो स्थिति इस प्रकार प्रकट आयी कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर पेश शुदा रेकार्ड अनुसार परिशिष्ट ''अ'' की कुल किता 19 रकबा 3.1000 हैक्टर भूमि बाबत् अपना निर्णय पारित किया है, जबकि स्पस्टया अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी नंबर 311 व 312 बाबत् भी वादी का वाद विद्यमान था तथा इस बाबत् तनकी नंबर 5 भी बनी थी, जिस बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है। जहां तक आराजी नंबर 1789 व 1801 से 1807 का प्रश्न है, यह प्रतिवादी भार सिद्ध तनकी है, परन्तु उनके द्वारा इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतएवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी जो प्रतिवादी के भार सिद्ध थी, उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में शामिल किये जाने की कोई उपादेयता नहीं है। तद्नुसार अपीलान्ट का यह उजर समायत योग्य नहीं है। तद्नुसार प्रथम अपील के सन्दर्भ में हम यह पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादी के भार सिद्ध तनकियों का पेश शुदा साक्ष्यों अनुसार परिशिष्ट ''अ'' की कुल किता 19 रकबा 3.1000 हैक्टर भूमियों बाबत् जो विवेचन किया वह उचित है, परन्तु अपने निर्णय में आराजी नंबर 311 व 312 को शामिल नहीं किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण है। अतएवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में संशोधन किया जाकर आराजी नंबर 311 व 312 बाबत् भी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर

विवेचन किया जाकर संशोधित निर्णय व डिक्री जारी किया जाना विधिक एवं औचित्य पूर्ण होगा।

प्रकरण में जहां तक द्वितीय अपील संख्या 212/2009 का प्रश्न है, अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि उसका परिशिष्ट ''अ'' की भूमियों में खाता संख्या में कुल किता 8 रकबा 1.1000 हिस्सा है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के हिस्से में कुल किता 8 रकबा 1.0600 हैक्टर एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के हिस्से में कुल किता 6 रकबा 0.9400 हैक्टर भूमि है। इसी प्रकार आराजी नंबर 311 रकबा 0.3000 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के हिस्से में रखी गयी तथा आराजी नंबर 312 रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 के हिस्से में रखी गयी। आराजी नंबर 311 व 312 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 का कोई हिस्सा नहीं है व इसके बदले में उन्हें खाता संख्या 143 की आराजी नंबर 1789, 1801 से 1807 की कुल किता 8 रकबा 6.3500 हैक्टर भूमि दी गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों का औचित्य पूर्ण विवेचन नहीं किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में परिशिष्ट ''अ'' की कुल किता 19 रकबा 3.1000 हैक्टर भूमि के बारे में ही उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप अपना निर्णय पारित किया है। जहां तक आराजी नंबर 311 व 312 का प्रश्न है, यह भूमि भी पक्षकारों की सहखातेदारी में होना साबित है एवं इस बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 5 बनायी जाकर इसका निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में किया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी नंबर 311 व 312 पक्षकारों की सहखातेदारी में होना स्पष्ट था, परन्तु उसे विभाजन में शामिल नहीं किया है। जहां तक आराजी नंबर 1709 व 1801 से 1807 का प्रश्न है इस बाबत् प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। आराजी नंबर 311 व 312 पक्षकारों की सहखातेदारी में होना स्पष्ट है तथा इनका मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है, मौखिक रूप से हुए बंटवाड़े को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद नहीं माना जा सकता। जहां तक तनकी नंबर 5 का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में इन भूमियों को पक्षकारों की सहखातेदारी की होना माना है तथा उसका रेकार्ड भी पेश हुआ है, जिसमें आराजी नंबर 311 व 312 में अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व

2 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 का 1/2 हिस्सा दर्ज है अतएवं आराजी नंबर 311 अकेले अपीलान्ट की होना नहीं माना जा सकता। यह स्पष्ट है कि आराजी नंबर 311 व 312 का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है अतएवं अधिनस्थ न्यायालय का तनकी नंबर 5 पर किया गया विवेचन उचित नहीं है। जहां तक तनकी नंबर 6 का प्रश्न है, आराजी नबर 1789 व 1801 से 1807 बाबत् प्रतिवादीगणों द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है अतएवं इस बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की भार सिद्ध तनकी उसके विरूद्ध निर्णित की है, जिसे हम उचित पाते हैं। अधिनस्थ न्यायलय द्वारा अपने निर्णय में परिशिष्ट ''अ'' की कुल किता 19 रकबा 3.1000 हैक्टर भूमि बाबत् जो निर्णय पारित किया है, वह पेश शुदा रेकार्ड अनुरूप है, परन्तु आराजी नंबर 311 व 312 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी विभाजन की डिक्री में शामिल नहीं किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है।

उपरोक्त दोनों अपीलों के सन्दर्भ में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन के आधार पर हम उपरोक्त दोनों अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में हुई त्रुटि को दृष्टिगत रखते हुए अधिनस्थ न्यायलय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री संशोधित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03–03–2009 में ग्राम बूझडा की आराजीयात जो जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 प्रदर्श 1 में अंकित हैं, खाता संख्या 211 में कुल किता 19 रकबा 3.1000 हैक्टर में मोहनलाल, कन्हैयालाल, दामोदरलाल पिता पन्नालाल के सहखातेदारी में अंकित है तथा जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 प्रदर्श 2 में अंकित खाता संख्या 212 में अंकित आराजी नंबर 311 व 312 जिसमें मोहनलाल, कन्हैयालाल, दामोदरलाल पिता पन्नालाल का 1/2 हिस्सा तथा चन्द्रप्रकाश पिता निर्भयराम ब्राहमण का 1/2 हिस्सा अंकित है का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किये जाने की संशोधित डिक्री जारी की जाती है। तद्नुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से तलब किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय इस न्यायालय द्वारा जारी संशोधित प्रारम्भिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब करे तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में अंतिम डिक्री इस न्यायालय से अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने के 3 माह की अवधि में पारित करे। पक्षकारान डिक्री की

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12–02–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

प्रतापसिंह पिता बसन्तीलाल भण्डारी, निवासी 29–ए, अलकापुरी, उदयपुर व अन्य बनाम **श्रीमती ममता पत्नी रवीन्द्र अरोड़ा, निवासी 57 सिख कॉलोनी उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**292 / 2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....03**.....माह.....**08**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**01**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दीपक शर्मा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री कैलाश नागदा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करते हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 03–08–2009 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**01**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** .....

दामोदरलाल पिता पन्नालाल नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **मोहनलाल पिता पन्नालाल नागदा, नि0 बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰.....**162/2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....03**.....माह.....**03**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राजमल राव**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 16/2005 में जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–03–2009 में ग्राम बूझड़ा की आराजी नंबर 311 व 312 का भी हस्ब राजस्व रेकार्ड विभाजन किये जाने के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पूर्व प्रारम्भिक डिक्री में दोनों आराजियात भी सम्मिलित की जाती हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मोहनलाल पिता पन्नालाल नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **कन्हैयालाल पिता पन्नालाल नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**212/2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....03**.....माह.....**03**.....**2009**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री राजमल राव** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री खेमराज डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 16/2005 में जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–03–2009 में ग्राम बूझड़ा की आराजी नंबर 311 व 312 का भी हस्ब राजस्व रेकार्ड विभाजन किये जाने के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पूर्व प्रारम्भिक डिक्री में दोनों आराजियात भी सम्मिलित की जाती हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।